(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध 6 दिसम्बर को घटित अयोध्या कांड में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

CBI investigation into demolition of Ayodhya Mosque

302. SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether CBI is investigating into the conspiracy of demolish the Ayodhya mosque; and

(b) if so, what is the present position of the said investigation?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and (b) Investigations are being conducted by the CBI *Inter alia* to find out about the conspiracy, if any, to demolish the disputed Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure on 6th December, 1992. The investigations are presently in progress.

Banning of Rallies at Boat Club

303. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have banned the rallies to be staged at the Boat Club on the 25th February, 1993; and

(b) if so, the details thereof and the reasons for their banning?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b): Yes, Sir. In view of the very volatile communal situation prevailing in the country as well as in the National Capital and the strong undercurrent of communal distrust between the communities when even a minor incident can lead to a serious conflagration, the Government has decided that it cannot, at this stage and in the present circumstances, permit the holding of the rally proposed by BJP on 25th February at Boat Club Lawns, Prohibitory Orders in this regard have been passed by Police Commissioner, Delhi.

कौल समिति की सिफारिशें

304. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री पी० के० कौल समिति ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के संबंध में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन-कौन सी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समिति की कतिपय सिफारिशों को सरकार के क्रियान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें कौन-कौन सी हैं और उन्हें किस आधार पर स्वीकार किया गया है और देश को इनसे किस प्रकार लाभ होगा ; और

(ङ) सरकार ने किन-किन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और उन्हें अस्वीकृत किये जाने का क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य अनुशंसाएं ये हैं :–

(1) कंपनी अधिनियम के तहत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदलना।

(2) कंपनी अधिनियम के अधीन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तीन निगमित कंपनियों में विभाजित करना।

(3) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन संबद्ध कार्यालय के रूप में "हाईड्रोकार्बन निदेशालय" बनाना।

(4) नई निगमित कंपनियों की पूंजी के 20 प्रतिशत का अधिकार हरण।

(ग) और (घ) सरकार ने कंपनी अधिनियम के अधीन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदलने, हाइड्रोकार्बन का निदेशालय बनाने तथा नव-गठित कंपनी की इक्विटी के 20 प्रतिशत का अधिकार लेने से संबंधित समिति की अनुसंसाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया है। इन अनुशंसओं के कार्यान्वयन से प्रचालन के लिए अधिक वित्तीय/वाणिज्यिक/प्रबंध लोच प्राप्त होगी तथा अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। उक्त निदेशालय एक तकनीकी निकाय के रूप में सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करेगा कि तेल के अन्वेषण, विकास तथा दोहन के क्षेत्र में ठोस कार्य किए जा रहे हैं।

(ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तीन कंपनियों में विभाजित करने की समिति की अनुशंसा को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि अपेक्षित संसाधन जुटाने अथवा संयुक्त उद्यम भागीदारों को आकर्षित करने के लिए इकाईयों को वित्तीय शक्ति नहीं होगी और उनमें से एक इकाई वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं भी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

305. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू वर्ष एवं अगले वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस की खोज करने हेतु उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से स्थानों का अभिनिर्धारण किया है, और भविष्य में इस प्रयोजन हेतु कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की है और सरकार कितने स्थानों पर प्राकृतिक गैस की खोज करने में सफल रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री कैप्टन शतीश शर्मा : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नवाबगढ़-अमेठी-सिधानी क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण कर रहा है। एक अन्वेषणात्मक कूप शाहजहांपुर-I में उत्पादन परीक्षण किया जा रहा है। आयल इंडिया लि० भी शारदा डिप्रेसन में जो मुरादाबाद, बरेली, नैनीताल, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं तथा गढ़वाल जिलों में आता है, भूकंपीय सर्वेक्षण करवा रहा है। वर्ष 1993-94 के दौरान बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, गोंडा और गोरखपुर जिलों के गंडक डिप्रेसन में भी आयल इंडिया लि० भूकंपीय सर्वेक्षण करवा रहा है।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० का सर्वेक्षण के लिए योजना परिव्यय 16.34 करोड़ रुपये का है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6 अन्वेषणात्मक कुएं खोदे गए हैं। जिनमें कोई सफलता नहीं मिली है।

Shortfall in crude oil production

306. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that crude oil production fell short of target by 3.8 percent during the April-November period of 1992; and